न्यायालय जिला कलक्टर, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– डॉ. महेन्द्र खड़गावत, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 53 / 2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025 / 155

अपीलान्ट		रेस्पोडेन्ट
भैरूराम भींचर पुत्र चौथूराम, जाति जाट, निवासी बाजियों की ढ़ाणी, कालवा बड़ा, तहसील मकराना।	बनाम	1. पटवारी हल्का कालवा बड़ा। 2. तहसीलदार मकराना।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थन भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 25.07.2025 जो कि तहसीलदार मकराना द्वारा प्रकरण संख्या 02 / 2023 उनवान पटवारी हल्का कालवा बड़ा बनाम भैंरूराम में दिया जाकर अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली व जुर्माना वसूली का आदेश दिया।

–:निर्णय:–

दिनांकः–18.11.2025

अपीलांट की ओर से पेश अपील के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है किः–अप्रार्थी संख्या 01 पटवारी हल्का कालवा बड़ा द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार मकराना को प्रस्तुत टी.पी. रिपोर्ट पर अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राज. भू. राजस्व अधि. दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिस जारी किये गये, दिनांक 31.01.2024 को अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी भैंरूराम की ओर से प्रस्तुत जवाब दिनांक 31.01.2024 में अतिक्रमण के तथ्य को इन्कार करते हुए पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट करने व अप्रार्थी को गलत नोटिस जारी करने के कथन करते हुए यह भी लिखा गया कि उक्त तथाकथित गै.मु. रास्ता खसरा संख्या 311 राजस्व ग्राम बोरावड़ की सीमा से शुरू होकर राजस्व ग्राम कालवा बड़ा के खसरा संख्या 373 तक स्थित है उक्त खसरा संख्या 311 वाला गै.मु. रास्ता की कुल लम्बाई का करीब 1 / 3 हिस्सा ही अपीलार्थी के हिस्से के खसरा संख्या 310 / 2 की सीमा के लगता है पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट की हैं।

अतः अपील, प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी संख्या 02 श्रीमान तहसीलदार मकराना द्वारा प्रकरण संख्या 02 / 2023 उनवान पटवारी हल्का कालवाबड़ा बनाम भैंरूराम में पारित निर्णय दिनांक 25.07.2025 को निरस्त फरमाया जावें एवं अन्य उचित आदेश जो अपीलार्थी के पक्ष में हो अता फरमावें।

प्रकरण में कार्यालय हाजा के पत्रांकः–कोर्ट / 2025 / 443 दिनांक 16.10.2025 के द्वारा तहसीलदार, मकराना से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, मकराना के पत्रांक कोर्ट / 2025 / 811 दिंनाक 24.10.2025 के द्वारा [illegible] हुई। तहसीलदार मकराना से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा दिनांक 31.01.2024 के अनुसार (मकराना–बोरावड़–खाटू–नागौर मेगा हाईवे) [illegible] के मूल खसरा 310 में से अवाप्त किया होना बताया गया है। जिसके मुआवजे [illegible] बदले 310 / 1 की दक्षिणी सीमा पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 15:00:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

स्थित पुराने रास्ते खसरा संख्या 311 की भूमि सुपुर्द किया होना बताया परन्तु इस बाबत् कब्जा सुपुर्द किये जाने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया ना ही अपीलार्थी द्वारा सक्षम कार्यालय में मुआवजे की मांग करने के दस्तावेज पेश किये गये। उक्त हाईवे विगत कई वर्षों से चालू है तो अपीलार्थी द्वारा अब ही इस मुआवजे की मांग क्यों की जा रही हैं अपीलार्थी केवल मात्र न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। प्रकरण में अपीलार्थी ने उक्त खसरा संख्या 311 पर अन्य भी अतिक्रमण होने एवं बोरावड़ के खसरा संख्या 56 पर अतिक्रमण होने की शिकायत की जिसकी जाँच हेतु सम्बन्धित हल्का पटवारी को पत्र जारी किये गये। खसरा संख्या 311 के सम्बन्ध में हल्का पटवरी कालवा बड़ा ने अवगत करवाया कि रास्ते पर जहां अतिक्रमण है उसकी टी.पी. रिपोर्ट पुर्व हल्का पटवारी कालवा बड़ा द्वारा की जा चुकी है। शेष रास्तों बोरावड़–नागौर हाईवे के समानान्तरण चालु है अर्थात् अपीलार्थी के अतिरिक्त अन्य किसी का कोई अतिक्रमण नहीं है। बोरावड़ के खसरा संख्या 56 पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में न्यायालय तहसीलदार मकराना में राजस्थाना भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर कार्यवाही जैरकार है जिसमें की नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। अपीलार्थी द्वारा यह बताया जाना की साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित कर दिया गया सरासर झूठ है। विचाराधीन प्रकरण जुलाई 2023 में दर्ज रजिस्टर किया गया तथा 25 जुलाई 2025 को निर्णित हुआ। चुंकि प्रकरण में न्यायहित को मध्यनजर प्रार्थी को उचित अवसर प्रदान किया गया। मौजा कालवा बड़ा का खसरा संख्या 311 किस्म गै.मु. रास्ता है जिस पर भु अभिलेख निरीक्षक बोरावड़ एवं पटवारी हल्का कालवा बड़ा द्वारा पेश टी.पी. रिपोर्ट अनुसार राजकिय भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाती है। अतः प्रकरण में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर जाँच/सुनवाई पश्चात् निर्णय पारित किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय न्यायसंगत, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के पक्ष में एवं राजहित में है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार मकराना की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार मकराना द्वारा पारित निर्णय न्यायसंगत, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के पक्ष में एवं राजहित में होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **18.11.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 15:00:41 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ महेन्द्र खड़गावत, IAS) 18.11.2025
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन